(2)

नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
15/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र धारा-212 R.T. Act दि. 05/05/26 को पेश हो। [हस्ताक्षर] 15/4/26	
5/05/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 22/05/26 को पेश हो। [हस्ताक्षर] 05/5/26	
22/05/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस एकपक्षीय के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम रूपारवेड़ी तहसील पिड़ावा की वादग्रस्त भूमि ख०न० 469 रकबा 0-03 बीघा किस्म कुआं एवं ख०न० 470 रकबा 0-01 बीघा प्रार्थी व 11 अन्य काश्तकारो की शामलाती भूमि है जो मुख्यतः सिंचाई का स्रोत है। प्रार्थी द्वारा शामलाती भूमि के अन्य 11 सहखातेदारो को जो कि necessary party थे - पक्षकार नहीं बनाया है जिससे प्रार्थनापत्र defective है। प्रार्थी ने प्रा०पत्र के पैरा न० 4 व 5 मे स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि मे से ख० न० 470 रकबा 01 बिस्वा किस्म गै०मु० खड्डा को प्रार्थी के पिता ने 8500/- रुपये मे अप्रार्थी 1 को रहन रख कर कब्जा सौंप दिया था और यह कब्जा वर्ष 2021 से पूर्व से निरन्तर चला आना	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	को स्वीकार किया है। ख० नं० 470 गै० मु० खड्डा है, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है। सम्भवत पहले जल संग्रहण स्रोत रहा हो अतः यहां पक्का निर्माण कर भूमि की किस्म एवं प्रकृति को बदलना तथा खुर्द बुर्द करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है (detrimental work to agriculture land) अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र डिक्रीट होते हुए भी न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थी 1 को ताफैसला मूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ख० नं० 470 पर पक्का निर्माण नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़	[signature] 29/5/26 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)